SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

परिपत्र सं: 09/2021-22

27 सितंबर, 2021

परिपत्र

विषय: स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली के तहत मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात परेषणों का अनिवार्य नमूनन एवं जांच - के संबंध में

रेफरी: 1) परिपत्र No.19 / 2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020
2) परिपत्र No.14 / 2020 दिनांक 21 सितंबर, 2020

स्पाइसेस बोर्ड ने संदर्भ 1 में उद्धृत परिपत्र के माध्यम से सभी गंतव्यों (ईयू और यूके को छोड़कर) को सभी प्रकार के खाने के लिए तैयार (आरटीई) उत्पादों की निर्यात परेषणों को अनिवार्य परीक्षण की आवश्यकता से छूट दी थी। बोर्ड द्वारा मसाले और मसाला उत्पादों की निर्यात परेषणों के अनिवार्य नमूनन और जांच की आवश्यकता की समीक्षा की गई है और निर्यात करने में आसानी के लिए निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- साबुत मिर्च के निर्यात के मामले में, बोर्ड द्वारा जारी नमूना आहृत प्रमाणपत्र (एसडीसी) के साथ निर्यात करने की सुविधा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (मलेशिया सहित), श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के लिए लागू कर दी गई है। ।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को छोड़कर सभी गंतव्यों के लिए जीरा के निर्यात के लिए, 'बोर्ड द्वारा अनुमोदित वचनपत्र' जारी करने की प्रणाली को नमूना आहृत प्रमाणपत्र (एसडीसी) सुविधा से बदल दिया गया है। तदनुसार, बोर्ड के नामित सर्वेक्षक संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को छोड़कर सभी गंतव्यों के लिए नियत जीरा के परेषणों से नमूना लेंगे और सामग्री को कंटेनर में भरने की निगरानी करेंगे और एसडीसी में कंटेनर नंबर और सीमा शुल्क सील दर्ज करेंगे। इसके बाद, एसडीसी को निर्यातक को सौंप दिया जाएगा, ताकि निकासी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना पारेषण के निर्यात को सक्षम किया जा सके। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के मामले में, जीरा के निर्यात की अनुमति केवल स्पाइसेस बोर्ड की निकासी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के साथ दी गई है।

देश से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए अपेक्षित अनिवार्य जांच की अद्यतन सूची अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न की गई है, जो 15 अक्टूबर, 2021 से लागू होंगी । यह परिपत्र, मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 और मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1989 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं और इस संबंध में मसाला बोर्ड द्वारा अगले दिशा-निर्देश/अनुदेश निर्धारित किए जाने तक लागू रहेंगे ।

(हां)

निदेशक (विपणन)

स्पाइसेस बोर्ड/ SPICES BOARD * भारत सरकार, कोचीन-25 / GOVT. OF INDIA, COCHIN-25 * स्पाइसेस बोर्ड भारत

सेवा में,

मसालों व मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक/निर्यातक संघ

भारत भर के सीमा शुल्क से संबंधित सभी आयुक्त/अधिकारी।

प्रतिलिपि

1) श्री एम एस बैनर्जी, अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
2) स्पाइसेस बोर्ड के सभी कार्यालय/क्यूईएल।
3) उप निदेशक, ईडीपी, मसाला बोर्ड, बोर्ड की वेबसाइट में होस्ट करेने हेतु

(फाइल नंबर: एसआरडी-एसएस/03/0002/2019 से जारी)